

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14015/8/2010-अ.भा.से.-1-ख


भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली; 1 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन सूची वर्ष 2009-ए के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर हिमाचल प्रदेश राज्य के निम्नलिखित सदस्यों को अगले आदेश तक परिवीक्षा पर, नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत उन्हें हिमाचल प्रदेश कैंडर में आवंटित करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	कमल शर्मा
2.	सुनील क. चौधरी
3.	अक्षय सूद
4.	जी.के.श्रीवास्तव
5.	जीत राम कटवाल (अ.जा.)
6.	डा. अजय कुमार शर्मा


(एस.एस.शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्राणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)